Department of Anatomy
Government Medical College, Satna (M.P.)
(web: https://gmcsatna.com)

Declaration form for Body Donation after Death
मृत्युपरांत शरीर दान घोषणा–पत्र

श्री/श्रीमती/कु. .... उम्र .... लिंग..............................
पिता/पति/पुत्र/पुत्री ....
स्थायी पता ....
फोन नं. -------------------------------- ईमेल ....
आधार नं/अन्य पहचान पत्र ....

मैं आज दिनांक .... को अपने पूर्ण होश एवं दिमागी तौर पर पूरी तरह स्वस्थ्य अवस्था में अपनी स्वेच्छा से मृत्युपरांत अपने शरीर को शरीर रचना विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना को भेट स्वरूप देने की स्पष्ट एवं लिखित रूप से घोषणा करता/करती हूँ। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि चिकित्सा संस्था मेरे मृत शरीर का विच्छेदन, शोध एवं अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं में जैसे उन्हें उचित लगे इसका उपयोग कर सकेगें. इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने अपने मृत शरीर के दान संबंधित अपनी इच्छा को अपने निकटतम सभी उत्तराधिकारियों/परिजनों को समझा दिया है एवं उन्होंने इसके लिए सहमति भी दी है जिनके नाम एवं हस्ताक्षर पृष्ठ क्रमांक 02 मे अंकित है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता/दानकर्ता

Department of Anatomy
Government Medical College, Satna (M.P.)
(web: https://gmcsatna.com)

BODY DONATION- ACKNOWLEDGEMENT OF REGISTRATION

Reg. No. ....Ana/gmc Satna/20 Date:

Mr/Mrs.....................................Age..........Sex...........

स्व प्रमाणित फोटो

This is to acknowledge gratefully that your name has been registered for the Body Donation programme. Your donation is indeed very noble and honourable.

NO OBJECTION/CONSENT FORM FROM CLOSE RELATIVES (NEXT TO KIN)

क्र	नाम	पहचान पत्र एवं न.	मोबाईल न.	पता	रिश्ता	हस्ताक्षर

मेरे सभी वारिसान रिश्तेदार एवं मित्र जो मेरी मृत्यु के समय उपस्थित हो, यह जान लें कि मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरा मृत शरीर, लगभग 08 से 10 घंटे के भीतर शरीर रचना विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना को दान होना है।

श्री/श्रीमति/कु .... के हस्ताक्षर ऊपर क्र. ....पर है और मै इन्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि ये मेरी प्राकृतिक मृत्योपरांत जल्द से जल्द मेरे मृत देह को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना मे पहुंचा देगें।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता/दानकर्ता

नोट:- कृपया इस घोषणा पत्र की तीन प्रतिया भरें, एक प्रति अपने पास रखें, दूसरी अपने उत्तराधिकारी या रिश्तेदार को देवे तथा तीसरी प्रति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शरीर रचना विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना की आवक शाखा मे भेजे।

'शरीर दान कि घोषणा हेतु धन्यवाद'

....

दानदाता /परिजनों के लिए निर्देश :-

1. देहदान का फार्म कालेज की वेबसाइट **https://gmcsatna.com** से अथवा कार्यालय शरीर रचना विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना से प्राप्त किया जा सकता है।
2. फार्म प्राप्त होने के पश्चात इसका पंजीकरण करके एक फार्म दानदाता को, एवं एक फार्म परिजनों को दिया जाता है तथा एक प्रति विभाग मे सुरक्षित रख ली जाती है।
3. देहदान की सूचना दानदाता/परिजन को अपने निकटतम पुलिस थाना मे देना अनिवार्य है।
4. देहदान फार्म के साथ दानकर्ता एवं किसी एक निकटतम परिजन जिसका नाम सहमति पत्र मे अंकित किया गया है का आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य है।

मृत्योपरांत परिजनों के लिए निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश एनाटॉमी एक्ट 1954, मध्यप्रदेश एनॉटमी रूल्स 1966 एवं कोविड 19 महामारी के दौरान एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के परिपालन मे दानकर्ता के मृत देह को चिकित्सा महाविद्यालय मे लाने वाले परिजनों को निम्नलिखित बातों का पालन करना आनिवार्य होगा–
   अ. पंजीकृत चिकित्सा द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमे मृत्यु के कारण का स्पष्ट उल्लेख हो (जिससे कि मृत्यु के कारण मे कोई सशय की स्थिति न हो) साथ लाना।
   ब. मृतक की आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आईडी की फोटोकॉपी साथ लाना।
   स. मृतक के देह को चिकित्सा महाविद्यालय लाने वाले परिजनों मे से किसी एक परिजन का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आईडी की फोटोकॉपी साथ लाना।
   द. मृतक के देहदान की लिखित सूचना परिजनों को अपने संबंधित पुलिस थाना में देना एवं पावती की छायाप्रति साथ लाना।
2. निम्नलिखित परिस्थितियों मे देहदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
   अ. मेडिकोलीगल केस (जैसे एक्सीडेन्ट, आत्महत्या अथवा अन्य अप्राकृतिक मृत्यु) जहां मृत्यु का कारण अज्ञात हो।
   ब. परिस्थितियां जिनमे मृत देह को संरक्षित रख पाना सम्भव नहीं है। (जैसे विघटित मृतदेह, गैंगरीन बैडसोर्स अथवा कैंसर से ग्रसित मृतदेह)
   स. परिस्थितियां जिनमे मृतक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जो चिकित्सा शिक्षकों, अध्ययनरत छात्रों एवं विभाग मे कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित न हों (जैसे एचआईबी/एड्स/हैपेटाइटिस बी हैपेटाइटिस सी, कोविड मृतक के मृत्यु दिनांक से 10 – 15 दिवस पूर्व तक कोरोना सम्बधित लक्षण न हों इत्यादि)
3. मृत्योपरांत देहदाता के परिजनों को नीचे दिये गये नम्बर पर संपर्क कर संस्था को सूचित करना होगा।
4. देहदाता के मृत शरीर को निर्धारित समयावधि मे संस्था तक पहुंचाने की व्यवस्था एवं उसमे आये व्यय का निर्वहन परिजनों को ही करना होगा।
5. अविच्छिन्न शरीर ही स्वीकारा जायगा (जिसमें किसी प्रकार का अंगदान न किया गया हो, ऑपरेशन न किया गया हो तथा पोस्टमार्टम न किया गया हो)
6. देहदान के पश्चात् मृतक का शरीर रिश्तेदारों को न देखने दिया जायेगा न ही वापस किया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों के लिए निर्देश :-

1. देहदान जो व्यक्ति देहदान का इच्छुक हो किंतु किसी कारणवश अपने जीवनकाल मे देहदान का फार्म न भर सका हो, इस स्थिति मे उसके परिजन भी मृतक का देहदान कर सकते है। इसके लिए उन्हे अपने निकटतम पुलिस थाना से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त जमा करना होगा।
2. **unclaimed** (अदावाकृत) **body** की स्थिति मे पुलिस थाना से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

Contact No. 07672-299660

Department of Anatomy reserves all Right to accept or reject body donation we pray for your healthy & long life, we assure you we [illegible] wish & do full justice to your donation